

01CC 086656



श्रीगणेशाय नमः

विक्रय-पत्र

हम (1) बालू पुत्र गणेश उम्र करीब 68 वर्ष, (2) भगवानसहाय पुत्र सोना उम्र करीब 42 वर्ष, (3) नर्बदा पुत्री सोना उम्र करीब 36 वर्ष, (4) छीतर उम्र 40 वर्ष, (5) बोदू उम्र करीब 35 वर्ष, पि0 भैरू, (6) रामप्यारी पुत्री भैरू उम्र करीब 32 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूँ जिला जयपुर राज्य राजस्थान के रहने वाले हैं।

जो कि ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूँ जिला जयपुर मे हमारी खातेदारी की भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

[Signature]
उप पंजियक
बोमूँ (जयपुर)

[Fingerprint]
डि. गवरी

[Fingerprint]

बोमूँ राम

[Fingerprint]
डि. गवरी

[Fingerprint]
मि. गवरी

[Fingerprint]

[Fingerprint]
मि. गवरी

7/68

29/9/63

प्राप्त

६०००

का

गुरुजीधर जी काशीप्रसाद

का

पत्रागच्छा

का

विष्णु धन

श्री १०००
* राधेश्याम गुप्ता *
अधिकृत स्टेशन बिक्री,
बलीद कार्यालय, चोप (बयपुर)



/ / 2 / /

क्र०सं०	खसरा नम्बर	रकबा	भूमि किस्म
1—	447 / 1	0.16 हैक्टेयर	बारानी द्वितीय
2—	450 / 1	0.50 हैक्टेयर	चाही उत्तम
योग:—	2	0.66 हैक्टेयर	

उपरोक्त वर्णित कुल खसरा किता-2 का कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी हमारे नाम से है तथा हमारा ही काबिज काश्त कब्जा व मालिकाना हक व अधिकार है। अन्य किसी का इसमें किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नहीं है।



12-23

श्री ११२२२

This micrograph shows a single cell with a large, dark, oval nucleus. The nucleus is densely stained with a dark blue/purple dye. A thin, light blue rim of cytoplasm is visible around the nucleus. The background is a light, grainy blue.

Pr. 21441

नि. धित

नं० ११६६ ३ २१/११/०३ (२१/११/०३)
हस्तो के च...
हस्ताक्षर...
हस्ताक्षर...
हस्ताक्षर...
हस्ताक्षर...



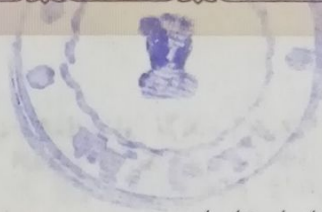
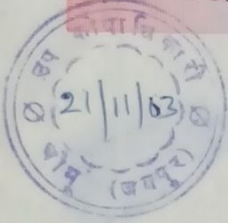
राधेश्याम गुप्ता
* राधेश्याम गुप्ता *
अधिकृत स्टांप विफं ना,
बहुवीर कार्यालय, चोम (बबपुरी)

आज दिनांक 22 माह November सन् 2003 को 12:28 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BALU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GANESH
उम्र 68 वर्ष, जाति AHIR व्यवसाय AGR
निवासी JAIT PURA
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, CHOMU
(2003003022)
(Sale Deed (Conveyance deed))

रसीद नं० 4285 दिनांक 22/11/2003
पंजीयन शुल्क रू० 6870/-
प्रतिलिपि शुल्क रू० 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू० 0/-
अन्य शुल्क रू० 0/-
कमी स्टांप शुल्क रू० 15540/-
कुल योग रू० 22610/-

हस्ताक्षर
(2003003022) उप पंजीयक, CHOMU
(Sale Deed (Conveyance deed))



01CC 086654

//3//

सारणी नम्बर-2

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	भूमि किसिम
1-	470 / 2249	0.79 हैक्टेयर	चाही उत्तम

उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर-470 / 2249 का कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी हमारे नाम से है तथा हमारा ही काबिज काशत कब्जा व मालिकाना हक व अधिकार है। अन्य किसी का इसमें किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नहीं है।

अतः हमको उपरोक्त वर्णित सारणियों के मुताबिक उक्त भूमि सम्पूर्ण अथवा इसके किसी भी हित व अंश को कृषि एवं खातेदारी मालिकाना हक हकूको एवं अधिकारो सहित हस्तान्तरित करने के समस्त हक व अधिकार प्राप्त है।

15. नवंबर
कोई राम
सि. शर्मा
सि. शर्मा
सि. शर्मा
सि. शर्मा
सि. शर्मा

7566 29/10/03
 3
 20000
 मुरलीधर दा. नारायण जग
 पत्रावली
 विवरण

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1-BALU/GANESH
 Age:68, Caste-AHIR
 Ocu.-AGR
 R/O-JAIT PURA (जयपुर)

2-BHAGWAN SAHAY/SONA
 Age:0, Caste-AHIR
 Ocu.-AGR
 R/O-JAIT PURA

3-NARBADA/SONA
 Age:0, Caste-AHIR
 Ocu.-AGR
 R/O-JAIT PURA

4-CHHITAR , BODU/BHERU
 Age:0, Caste-AHIR
 Ocu.-AGR
 R/O-JAIT PURA

5-RAM PYARI/BHERU
 Age:0, Caste-AHIR
 Ocu.-AGR
 R/O-JAIT PURA

(And Claimant)
 1-PRINCE AND PRINCESS EDUCATION SOCIETY
 JAIPUR(MURALI DHAR)/NARAYAN
 Age:0, Caste-JAT
 Ocu.-AGR
 R/O-PRAMA NAND PURA

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed)
 को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
 प्रतिफल राशी रू0 490000/- पूर्व में/मेरे
 समक्ष/मे से रू0 490000/-पूर्व में
 यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

2/10/03

औम प्रकाश

//4//

यह कि हमको अपनी खानगी खर्च एवं अन्य पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता है। अतः हमने उपरोक्त सारणी नम्बर-1 में वर्णित कुल खसरा किता-2 का कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण एवं सारणी नम्बर-2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर-470/2249 का कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण में से हिस्सा 1/5 भाग सम्पूर्ण को समस्त कृषि एवं खातेदारी मालिकाना हक हकूको एवं अधिकारों सहित मय बोल, सूल, पानी-पूला, आदि के मुबलिंग 4,90,000/-रूपये अक्षरे चार लाख नब्बे हजार रुपये के बदले प्रिन्स एण्ड प्रिंसेस एजुकेशन सोसायटी जयपुर रोड, चौमूँ जिला जयपुर जरिये अध्यक्ष श्री मुरलीधर पुत्र श्री नारायण जाट जाति जाट निवासी ग्राम परमानपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के हित में कतई बेचान कर दी है तथा रकम बिचौती की सम्पूर्ण राशि नकद प्राप्त करके उक्त उल्लेखित विक्रित आराजीयान भूमि का वास्तविक कब्जा मौके पर उक्त क्रेता को जाकर करा दिया है। अब क्रेता को अपने नाम से नामान्तरण एवं खातेदारी खुलवाने के समस्त हक व अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। यदि इस सम्बन्ध में हमारे लिखित अथवा मौखिक बयान एवं शहादत की आवश्यकता होगी या पड़ेगी तो हम क्रेता का पूर्ण सहयोग करने के लिए पूर्णतया बाध्य रहेंगे।

अब हमारा व हमारे उत्तराधिकारियों का उक्त उल्लेखित विक्रित आराजीयान भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नहीं रहा है और न ही भविष्य में रहेगा। यदि इस विक्रय पत्र के खिलाफ मेरा कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधि या अन्य कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, दावेदारी अथवा

कोई हस्ताक्षर

मि. नारायण

मि. नारायण

मि. रामचन्द्र

हस्ताक्षर

फोटो

अंगूठा

mDr fu"iknu drkZ dh igpku

1- Jh@Jherh@IqJh NARAYAN

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHAGWAN SAHAY उम्र 35 वर्ष

जाति AHIR व्यवसाय AGR

निवासी JAIT PURA

2. श्री/श्रीमती/सुश्री OM PRAKASH

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHAGWAN SAHAY उम्र 35 वर्ष

जाति BRAHMAN व्यवसाय AGR

निवासी ANNANT PURA ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे ससक्ष लिये गये हैं।

(2003003022)

(Sale Deed (Conveyance deed))

उप पंजीयक, CHOMU

Pending in Minute Book No. 2261 Dated : 22/11/2003

हस्ताक्षर उप पंजीयक, CHOMU

(2003003022)

(Sale Deed (Conveyance deed))

उप

//5//

उज्जदारी उठावेंगे या करेंगे तो उनका तस्फिया भी हम विक्रेतागण स्वयं अपने खर्च के साथ करेंगे।

आज तक उक्त उल्लेखित विक्रित आराजीयान भूमि सभी प्रकार के झगडे टन्टो से सरकारी, गैर सरकारी, बैंक एवं जन साधारण के ऋण एवं कर भार से सर्वथा मुक्त है और न ही किसी के रहन, बक्शीश, गिरवी अथवा विक्रय अनुबन्धित है। विक्रय भूमि सभी प्रकार से पाक व साफ है। आज से पहले का किसी का कोई कर भार बकाया होगा या निकलेगा तो उसका चूकारा भी हम विक्रेतागण स्वयं करेंगे।

इस विक्रय पत्र से पूर्व जो समस्त मालिकाना हक व अधिकार हम विक्रेतागणो को प्राप्त थे वे समस्त मालिकाना हक व अधिकार अब जरिये इस विक्रय पत्र के उक्त क्रेता को प्राप्त हो गये है। क्रेता उक्त विक्रित आराजीयान भूमि से सभी प्रकार के फायदे उठावे।

विक्रय भूमि का संक्षिप्त विवरण व स्थिती :-

ग्राम जैतपुरा के सारणी नम्बर-1 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर-447/1, 450/1 कुल खसरा किता-2 का कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण का एवं सारणी नम्बर-2 मे वर्णित आराजी खसारा नम्बर-470/2249 का कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण मे हिस्सा 1/5 भाग सम्पूर्ण का बेचान किया गया है। उक्त खसरा नम्बर-470/2249 मे से विक्रय भूमि उत्तर दिशा की ओर स्थित है। उक्त विक्रित भूमि मौके पर सिंचित है। विक्रित भूमि सडक से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तथा उक्त विक्रित भूमि के आसपास कोई आद्योगिक एवं वाणिज्य क्षेत्र नहीं है।

वि. प्रसाद
नि. राजपूत
बौदरात्र
नि. भगवानप्रसाद
नि. धिल

धारा 47-डी के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रुपये 686700
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 15540 पर कमी पंजीयन शुल्क
रुपये 6870 कुल रुपये 22610
जरिये रसीद संख्या 4285 दिनांक 22/11/2003
में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रुपये 75540
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2003003022) उप पंजीयक, CHOMU
(Sale Deed (Conveyance deed))

Release in Minute Book No. 2264 Dated : 24/11/2003

(2003003022) हस्ताक्षर उप पंजीयक, CHOMU
(Sale Deed (Conveyance deed))

आज दिनांक 24/11/2003 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 146
में पृष्ठ संख्या 159 क्रम संख्या 2442 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 366
के पृष्ठ संख्या 63 से 73 पर
चस्पा किया गया।

(2003003022) उप पंजीयक, CHOMU
(Sale Deed (Conveyance deed))

//6//

इस विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता द्वारा वहन किया गया है ।

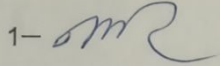
अतः यह विक्रय पत्र हमने हमारी स्वेच्छा से बिना किसी नशे पते के पूर्ण होश हवाश व स्थिर बुद्धि की हालात मे निम्न गवाहान के समक्ष सोच, समझ व पढ सुनकर सही मानते हुये 60,000/-रुपये के स्टाम्प कीमती किता तीन व पेपर किता तीन पर लेख करवा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत समय पर काम आवे। इति०

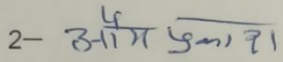
नोट:- इस विक्रय पत्र की फोटो प्रति अस्पष्ट अथवा अपठनीय होने पर विभाग की जिम्मेवारी नहीं होगी।

ह० विक्रेतागण :-

उप पंजियक

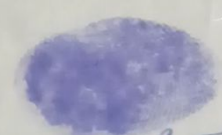
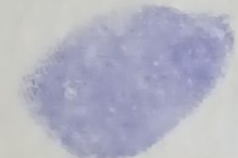
चौमू (जयपुर) ह० गवाहान मय पता :-

1- 

2- 


15/11/21

कि. रामपरी
बॉ. 11/11/21

नि. अ. रामपरी

नि. 11/11/21




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

शहरी जमाबन्दी के आधार पर संव्यवस्थित प्रयोजनों के लिये भूमिपट्टे विलेख

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु)



यह इकरारनामा जो आज दिनांक 6/8/17 2017 को, आवंटन/विक्रय-पत्र संख्या 188

सन्.....को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और इसी
ओर श्री/श्रीमती प्रियस एंड प्रियेज एड्मिरल सोसायटी जयपुर प्राइवेट लिमिटेड
पुनर्वसि हाथि कुन साहिब के.टी. जयपुर
व्यवसाय नौकरी निवासी जयपुर, जोधपुर - जयपुर

(जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रुपये 21.56% अक्षरे दो लाख पच्चीस हजार केवल

रुपये.....पैसे मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) नियमन और आवंटित करती है जो जहाँ से नया नष्ट चौक ख. न. 447/450/1, 470/1, 2, 44/2
योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
2. (अ) पट्टेदार, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबंध में आरक्षित दर.....रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से कुल राशि.....रुपये की 5% की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथि 31 मार्च तक जमा नहीं कराने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी। 31 मार्च से पूर्व अग्रिम शहरी जमाबन्दी जमा कराने पर 10% की छूट भी देय होगी। शहरी जमा बन्दी एक मुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा।
- (ब) दस वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5 (2) न.वि.वि./3/99 दिनांक 15.11.99 के अनुसार आवंटित भूखण्ड पर शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि.....रुपये की 5% प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।
3. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगी।
4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो, अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल संव्यवस्थित प्रयोजनों के आशय से किसी भवन के बनवाने में ही होगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक प-5(3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में एवं जविप्रा विनियम 1996 व समय-समय पर इनमें संशोधनों के अन्तर्गत निर्माण कराना होगा तथा अवैध निर्माण के सम्बन्ध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. यह भूखण्ड संव्यवस्थित है। अतः उस पर भवन निर्माण ज.वि.प्रा.से स्वीकृत मानचित्र के आधार पर किया जावेगा एवं सेट बैक साइट प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे तथा प्राधिकरण के बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार निर्माण किया जाना होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिये निर्धारित आवेदन पत्र मय मानचित्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
भूखण्ड पर निर्माण जविप्रा के प्रचलित भवन विनियम के तहत किया जावेगा।
7. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।

11/2/17
पंजीयक

8. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण/हस्तांतरण का अंकन जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार प्राधिकरण से करवाना होगा।
9. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के, जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।
10. लीज धारक सक्षम अधिकारी को सीधे वे तमाम साधारण विशेष और स्थानीय कर मय ब्याज और लागत अदा करेगा जो उक्त जमीन या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में या उस पर बनाई गई इमारत या इमारतों, बाह्य गृहों या इन तामीरों के सम्बन्ध में या उस समय आयद किये या लगाये गये हैं और काबिल अदा हो।
11. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।
12. यदि पट्टा विलेख जारी होने के उपरान्त यह तथ्य सामने आते हैं कि गलत तथ्यों के आधार पर या कार्यालय त्रुटि के कारण तथ्यों के विपरीत सहवन से लीजडीड जारी हो गया है तो उसे विधिक प्रक्रिया अपनाकर प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

नोट :- इस भूखण्ड की नियमन राशि..... 32-39/2 रु. प्रति वर्ग गज की पंजीकृत मूल्य राशि रु. 862.600 होती है। अतएव स्टाम्पनं..... 2264-2265 संख्या..... 12 बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।



कस्बे का नाम	पूर्व..... पश्चिम.....	भूखण्ड संख्या..... 4471/450/1	सीमा	पूर्व
जयपुर	उत्तर..... दक्षिण.....	योजना का नाम..... 456/249/2		पश्चिम
विस्तृत नाप	क्षेत्रफल सहित	क्षेत्रफल..... 7283 वर्ग मीटर		स्थल
				मानचित्र संलग्न है

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षधारकों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से

आज सन् 200 के वें दिन
श्री सक्षम
अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन..... जयपुर ने
निम्न की उपस्थिति में जयपुर में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

- नाम.....
पिता/पति का नाम.....
व्यवसाय.....
निवास स्थान.....
- नाम.....
पिता/पति का नाम.....
व्यवसाय.....
निवास स्थान.....
आज दिनांक..... 200 को
निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
खरीददार द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

- नाम.....
पिता/पति का नाम.....
व्यवसाय.....
निवास स्थान.....
- नाम.....
पिता/पति का नाम.....
व्यवसाय.....
निवास स्थान.....

उपस्थित एवं प्राधिकृत अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

खरीददार के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर